



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
GOVERNMENT OF INDIA

**NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES**  
(A Constitutional Body set up under Art. 338A of the Constitution of India)

सं. 21/1/NCST/2020-Admn.

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003  
दिनांक 15.04.2021

### कार्यालय ज्ञापन

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कार्यरत 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोरोना महामारी का टीकाकरण अविलम्ब कराने की सलाह दी जाती है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी पंडारा रोड डिस्पेन्सरी से तथा अन्य कर्मचारी एन.डी.एम.सी डिस्पेन्सरी से नि:शुल्क टीकाकरण करवा सकते हैं। उक्त दोनों डिस्पेन्सरी आयोग कार्यालय लोकनायक भवन के पास ही स्थित हैं। इस संबंध में अनुरोध है कि टीकाकरण के बाद कार्यालय में तत्संबंधी सूचना भी दी जाए।

(आर.के.दुबे)  
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
2. सदस्य के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
3. सचिव की प्रधान स्टाफ अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
5. उपसचिव की डी.ई.ओ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
6. निदेशक के डी.ई.ओ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
7. अवर सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
8. सहायक निदेशक (समन्वय प्रकोष्ठ एवं RU-II), (प्रशासन एवं RU-III), (रा.भा.), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
9. अनुसंधान अधिकारी (RU-IV), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
10. एन.आई.सी द्वारा एनसीएसटी वेबसाइट, व्हाट्सएप इमरजेंसी ग्रुप और नोटिस बोर्ड में अपलोड करने हेतु
11. हिन्दी अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।